न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 80 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट

1. छगन पुत्र हिमथाराम पत्नी भारमलराम जाति भील निवासी डांगरिया तहसील गुड़ामालानी

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.केली पत्नी प्रवीण पुत्री हिमथाराम जाति भील निवासी साकड़ तहसील साचौर जिला जालोर।
2.राजस्थान राज्य जरीये भूमिपति तहसीलदार गुड़ामालानी।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 77 / 2013 बअनवान कुमारी केली बनाम छगनी में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.06.2017 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री नारायण कुमावत अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः— 14.06.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट की खातेदारी व कब्जा काश्त की अपीलाधीन आराजी भूमि मौजा डांगरिया तहसील गुड़ामालानी के खसरा संख्या 189 / 1 में रकबा 18.15 बीघा का अवस्थित है। अपीलाधीन आराजी अपीलांट को उसके पिता हिमथाराम से जरीये पंजीबद्ध वसीयत से मिली है। अपीलांट के कोई जायन्दा भाई नहीं है। अपीलांट के पिता हिमथाराम की सेवा चाकरी भी अपीलांट द्वारा की गई। अपीलाधीन आराजी पर हिमथाराम के जीवनकाल से आज दिन तक लगातार अपीलांट का ही मात्र कब्जा काश्त है। उतरदाता का कोई कब्जा काश्त नहीं है। जिस पर अपीलांट की रहवासी ढाणी, पानी का टांका, चारा बाड़ा व पशुओ का बाड़ा एवं सिंचाई हेतु बेरा बना हुआ है। उतरदाता संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का तहत इस आश्य का पेश किया कि अपीलांट व उतरदाता संख्या 01 सगी बहने हिमथाराम की जांइदा पुत्रियें है। इनके अलावा अन्य कानू छटी व गोमी तीन पुत्रियें और भी है। खेत खसरा संख्या 189 / 1 रकबा 18.15 बीघा स्व. हिमथाराम के परिवार की संयुक्त संपति है और हिमथाराम के जीवनकाल में इस आराजी के भोक्ता स्वयं हिमथाराम व वादीनी थे। इस कारण पंजीबद्ध वसीयत दिनांक 21.12.2011 निष्प्रभावी घोषित कर वादीनी का 1 / 2 हिस्सा की खातेदारी की जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सूचना व नोटिस दिये ही लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत गांधव कला में दिनांक 10.06.2017 को अपीलाधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकायों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट को सुनवाई हेतु सम्मन जारी नहीं किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जबाव पेश करने के बाद तनकीयात कायम की जाकर दोनो पक्षों की साक्ष्य ली जाकर स्वंतंत्र निर्णय पारित किया जाना चाहिये था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकियात कायम की जाकर तथा बिना साक्ष्य के निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट की पत्रावली पर एकतरफा बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सूचना व नोटिस दिये ही लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत गांधव कला में दिनांक 10.06.2017 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकायों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट को सुनवाई हेतु सम्मन जारी नहीं किये गये। अपीलाधीन आराजी हिमथाराम को आवंटन हुई थी। जो उसकी स्व अर्जित भूमि (Self acquired Property) थी। अपीलाधीन आराजी का हिमथाराम पूर्ण स्वामी होने के कारण उनको वसीयत करने का पूर्ण कानूनी अधिकार था। पंजीबद्ध वसीयत को निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। वसीयतनामा व उतरदाता संख्या 01 हिमथाराम की वारीस होने के संबंध में वर्णित प्रश्नों का निर्धारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 व तृतीय अनुसूची के अन्तर्गत नहीं आने से राजस्व न्यायालय को ऐसे प्रश्नों का निर्धारण करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जबाव पेश करने के बाद तनकीयात कायम की जाकर दोनो पक्षों की साक्ष्य ली जाकर स्वंतंत्र निर्णय पारित किया जाना चाहिये था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकियात कायम की जाकर तथा बिना साक्ष्य के निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि पत्रावली केम्प कोर्ट में रखी जाने हेतु सम्मन/सूचना अपीलांट पर तामील प्रतिवेदित हुआ हैं। सम्मन/ सूचना पत्र पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

हस्ताक्षर "छगनी" के रूप में है जबकि अपील मीमों एवं वकालतनामा पर उसके हस्ताक्षर "छगन" है जो निश्चित रूप से भिन्न–भिन्न है। यह सम्यक तामीली/सूचना को संदेहास्पद बनाते है। लिहाजा सूचना के अभाव में एकतरफा कार्यवाही कर पारित किया गया निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में वाद–पत्र का अवलोकन किया जिसमें वादिनी का कथन है कि वे कुल मिलाकर हिमथाराम की 5 पुत्रियाँ हैं:– वादिनी, प्रतिवादिनी संख्या 01 के अलावा कानू, छटी व गोमी। वादिनी के कथनानुसार वादग्रस्त भूमि हिमथाराम को आवंटित भूमि है जिसकी खातेदारी जरिये नामातरण संख्या 234 दिनांक 06.02.1983 से उसे मिली। वादग्रस्त भूमि स्व0 हिमथाराम ने अपने जीवनकाल में अपनी पुत्री छगनी प्रतिवादी संख्या 01/अपीलांट के पक्ष में वसीयत कर दी थी। वादिनी स्वयं ने साक्ष्य में कथन किया है कि "मैं व प्रतिवादिनी छगनी सगी बहिनें है, स्व0 हिमथाराम की जाईंदा पुत्रियां है। हमारे अलावा कानू,छटी व गोमी हमारी तीन और बहिने हैं मेरी चारों बहिनें प्रतिवादीनी छगनी, कानू, छोटी व गोमी विवाहित हैं, मैं अविवाहित हूँ। उसके कथनानुसार–"अपने कबीले समूह अथवा व्यक्तिगत विधि में शासित है– अनुसूचित जाति वर्ग में विवाहित पुत्रियों के अपने पिता की संपति में कोई अधिकार सृजित नहीं होते।" इस सिद्धांत पर गौर करे तो वादिनी संपूर्ण भूमि की उतराधिकारिणी ठहरती है जबकि उसने 1/2 हिस्सा की ही घोषणा चाही है जो सरासर विरोधाभासी है। पत्रावली पर एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा उपपंजीयक गुड़ामालानी के द्वारा पंजीबद्ध दिनांक 21.12.2011 दो साक्षी वरजांगाराम व रामसिंह की मौजूदगी में वसीयतकर्ता हिमथा वल्द बागा ने अपनी पुत्री छगनदेवी के पक्ष में किया है, उपलब्ध है। कानूनन स्व अर्जित(आवंटित भूमि) सम्पति का वसीयत के जरिये व्ययन करने का अधिकार वसीयतकर्ता हिमथा को था। इस वसीयत तथा वादिनी के वाद–कथनों के आलोक में अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 77/2013 बअनवान कुमारी केली बनाम छगनी में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.06.2017 को अपास्त किया जाता है।

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 14.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner